FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी **मुकाम** चित्तौड़गढ़

बगदीराम **बनाम** राजूदेवी

किस्म मुकद्दमा प्रार्थना पत्र **नं.** 352 **सन्** 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/03/24	अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस प्रकरण अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन/अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। प्रार्थी ने ग्राम ग्राम ओडूंद स्थित अपनी सहखातेदारी की आराजी संख्या 139 की रकबा 0.40 हे., 140/1685 रकबा 0.36 कीता 02 कुल रकबा 0.7600 हे. पर आने-जाने के लिए आम रास्ता आराजी संख्या 158 से शुरू कर आ. नं. 157 के पूर्वी मेड पर होते हुए एवं आ. नं. 139/1683 के पूर्वी मेड से होकर रास्ते ~~के~~ का उपयोग करने बाबत निवेदन कर, विपक्षी सं. 2,3 द्वारा रास्ता बन्द कर दिया जाने से विपक्षी संख्या ~~3~~ की आराजी संख्या 157 एवं ~~विपक्षी संख्या 3~~ की आ.नं. 139/1683 में से नियमानुसार रास्ता दिलाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। तहसीलदार चित्तौड़गढ़ ......लगातार (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	से मौका रिपोर्ट तलब करने पर तहसीलदार चित्तौड़गढ द्वारा जारिए क्रमांक/राजा/2024/66 दिनांक 05/04/2024 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। • प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की ग्राम ओछड़ स्थित आ.नं. 139 मी. रकबा 0.40 हे., आ.नं. 140/1685 रकबा 0.36 हे. पर पहुंचने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। प्रार्थी द्वारा ग्राम ओछड़ स्थित विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 157 एवं विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 139/1683 से रास्ता चाहा गया है। आ.नं. 157 में से 0.0192 हे. तथा आ.नं. 139/1683 में से 0.0064 हे. भूमि रास्ता हेतु प्रस्तावित कर नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि 0.0256 की कीमत डी.एल.सी. दर 888451- प्रति एयर के हिसाब से दो गुना राशि 45486=00 रुपए बनती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हस्ब मौका रिपोर्ट तहसीलदार चित्तौड़गढ स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की ग्राम ओछड़ स्थित आराजी संख्या 139 मी., 140/1685 पर आने जाने के लिए रास्ता कायम करने हेतु विपक्षी संख्या 2 की आराजी संख्या 139/1683 में 0.0064 हे. तथा विपक्षी संख्या 3 की आराजी संख्या 157 में से 0.0192 हे. भूमि की कीमत डी एल सी दर के दो गुना राशि 45486.00 का भुगतान विपक्षी संख्या 02 व 03 को किए जाने पर आ.नं. 139/1683 ......लगातार (हस्ताक्षर) (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ (राज.)

Scanned with AnyScanner

नम्बर व तारीख अहकाम हुक्म में	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मे से 0.0064 हे. तथा आ.नं. 157 मे 0.0192 हे. कुल रकबा 0.0256 हे. भूमि को रास्ता दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है, उक्त भूमि की किस्म रास्ता दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। राशि 45486.00 रुपये का भुगतान विपक्षी संख्या 2 व 3 को किए जाने हेतु विपक्षी संख्या 02 के नाम का राशि 11380.00 तथा विपक्षी 03 के नाम का राशि 34120.00 के ड्राफ्ट बनवा कर भुगतान तहसीलदार चित्तौडगढ के मार्फत किए जाने हेतु प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौडगढ को भिजवाये जावे तथा राजस्व अभिलेख मे अमल हेतु मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा जिसमे प्रस्तावित रास्ता दर्शाया गया है कि प्रति निर्णय की प्रति के साथ संलग्न कर तहसीलदार चित्तौडगढ को प्रेषित कर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात राजस्व रेकार्ड मे प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे। निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (हस्ताक्षर) (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौडगढ (राज.)	

Scanned with AnyScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्रावली अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर रिकार्ड से तलब करने पर पेश हुई। प्रार्थी. प्रार्थी ने दिनांक 04/03/2024 को पारित निर्णयानुसार विपक्षीगण को भुगतान हेतु बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किए है। अत: प्रस्तुत ड्राफ्ट सम्बन्धित को भुगतान हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को मय निर्णय की प्रति एवं मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस की प्रति प्रेषित किए जाकर लिखा जावे कि सम्बन्धित को भुगतान के पश्चात प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता दर्ज कर मौका रिपोर्ट के साथ प्राप्त नक्शे अनुसार रेकार्ड मे तरमीम किया जावे। (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner